निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 माघ 1945 (श0)

संख्या 05 पटना, बुधवार,

31 जनवरी 2024 (ई0)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	**2-7**
भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---
भाग-1-ख—मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---
भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	---
भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---
भाग-4—बिहार अधिनियम	---
भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक,उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-9—विज्ञापन	---
भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	**8-9**
पूरक	---
पूरक-क	---

भाग–1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।

वाणिज्य–कर विभाग

अधिसूचना
24 जनवरी 2024

सं0–6/नि0प्रति0नियु0–01–01/2020–419––विभागीय अधिसूचना संख्या–950, दिनांक–04.06.2020 द्वारा 63वीं बैच के 115 पदाधिकारियों का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन अप्राप्त रहने के कारण औपबंधिक रूप से नियुक्ति की गयी। उक्त परीक्ष्यमान पदाधिकारियों में से निम्नांकित 03 पदाधिकारियों का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है, जो अनुकूल हैः–

क्र0 सं0	पदाधिकारी का नाम	संयुक्त मेधा क्रमांक	गृह जिला	जन्म तिथि	वर्तमान पदस्थापन
1	2	3	4	5	6
1	श्री सोनल कुमार	72	नवादा	24.08.1992	पटना दक्षिणी अंचल–2
2	श्री अमर्त्य कुमार आदर्श	156	अरवल	15.10.1989	अन्वेषण ब्यूरो, पटना पूर्वी प्रमण्डल, पटना
3	श्री अविनाश कुमार	220	अररिया	17.08.1993	बेगुसराय अंचल।

अतः उपर्युक्त 03 परीक्ष्यमान पदाधिकारियों की विभागीय अधिसूचना संख्या–950, दिनांक 04.06.2020 के द्वारा की गयी औपबंधिक नियुक्ति को नियमित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कृष्ण कुमार, संयुक्त सचिव।

गृह विभाग (विशेष शाखा)

अधिसूचना
24 जनवरी 2024

सं0 जी/रेलवे नाम0–02–01/2016–749––भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक–11/26/2023–एम एण्ड जी दिनांक–01.01.2024 द्वारा दी गई अनापत्ति के आलोक में बिहार राज्य के सोनपुर–दीघा रेलखंड पर अवस्थित **'पहलेजा घाट' रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर ''भरपुरा पहलेजा घाट'' किया जाता है।**

तद्नुसार स्टेशन का नाम देवनागरी एवं रोमन लिपि में निम्न प्रकार होगा :–

क्र0 सं0	वर्त्तमान नाम	रोमन लिपि में नया नाम	देवनागरी लिपि में नया नाम
1	**'PAHLEZA GHAT'**	**'BHARPURA PAHLEZA GHAT'**	**'भरपुरा पहलेजा घाट'**

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
के0 सुहिता अनुपम, विशेष सचिव।

परिवहन विभाग

अधिसूचना
25 जनवरी 2024

सं0–04/STA-(विविध)–30/2016(खण्ड),परि0–580––मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–68 की उपधारा–(3)(c-a)के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या–836, दिनांक–05.02.2018, अधिसूचना संख्या–709, दिनांक–23.01.2019, अधिसूचना संख्या–8961, दिनांक–31.12.2020, अधिसूचना संख्या–860, दिनांक–08.02.2021, अधिसूचना संख्या–5281, दिनांक–25.08.2021, अधिसूचना संख्या–6447, दिनांक–11.10.2021, अधिसूचना संख्या–1274, दिनांक–24.02.2022, अधिसूचना

संख्या–1459, दिनांक–02.03.2022, अधिसूचना संख्या–376, दिनांक–20.01.2023, अधिसूचना संख्या–413, दिनांक 23.01.2023, अधिसूचना संख्या–4547, दिनांक–14.06.2023 एवं अधिसूचना संख्या–9376, दिनांक–18.12.2023 द्वारा अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों को अधिसूचित किया गया है।

अधिसूचना संख्या–836, दिनांक–05.02.2018 की कंडिका–2 के आलोक में पूर्व में अधिसूचित अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों के अतिरिक्त अनुलग्नक–क(xii) के रूप में कुल 02(दो) नये अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों को अधिसूचित करते हुए सम्मिलित किया जाता है।

शेष यथावत रहेगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट,–उप–सचिव।

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–68(3)(c-a) के तहत् चिन्हित किये गये अतिरिक्त अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों की सूची :–

रूट कोड	अप ट्रीप मार्ग का नाम	अप ट्रीप मार्ग का भाया	डाउन ट्रीप मार्ग का नाम	डाउन ट्रीप मार्ग का भाया	अभियुक्ति
5474	राजगीर से जमूई स्टेशन मलेपुर	बलगंगा, नारदीगंज, भटविगहा, झुनाठी मोड़, नवादा बुधौल बसपड़ाव, नवादा रेलवे क्रॉसिग, नवादा 3 नं0 बसस्टैण्ड, पकरीवरामा, आढ़ा मोड़, अलीगंज, सिकंदारा, मसौढ़ी चौक	जमूई स्टेशन मलेपुर से राजगीर	मसौढ़ी चौक, सिकंदारा, अलीगंज, आढ़ा मोड़, पकरीवरामा, नवादा 3 नं0 बसस्टैण्ड, नवादा रेलवे क्रॉसिग, नवादा बुधौल बसपड़ाव, झुनाठी मोड़, भटविगहा, नारदीगंज, बलगंगा,	एस0टी0ए0
5475	सुलतानगंज से नवादा	असरगंज, तारापुर, खड़गपुर, गंगटामोड़, लक्ष्मीपुर, मलेपुर स्टेशन, जमुई बसस्टैण्ड, मसौढ़ीचौक, सिकन्दरा, अलीगंज, आढ़ामोड़, पकरीवरामा	नवादा से सुलतानगंज	पकरीवरामा, आढ़ामोड़, अलीगंज, सिकन्दरा, मसौढ़ीचौक, जमुई बसस्टैण्ड, मलेपुर स्टेशन, लक्ष्मीपुर, गंगटामोड़, खड़गपुर, तारापुर, असरगंज,	एस0टी0ए0

आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट,–उप–सचिव।

ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचनाएं
22 जनवरी 2024

सं0 R-504/29/2023-SECTION 14-RDD-RDD–2494151––श्री मिथिलेश बिहारी वर्मा, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, मांझी, सारण सम्प्रति ग्रामीण विकास विभाग-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, केसठ, बक्सर के विरूद्ध आवास योजना के तहत 4 लाभार्थियों को दो-दो बार आवास का लाभ देने, कार्य के प्रति लापरवाही बरतते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के मार्गदर्शिका के विरूद्ध वित्तीय अनियमितता कर इंदिरा आवास योजना अंतर्गत पूर्व में लाभान्वित लाभुकों को लाभ दिये जाने संबंधी तथ्यों को छुपाने एवं सरकारी राशि के दुरूपयोग रोकने में अभिरूची नहीं लेने के आरोपों पर जिला पदाधिकारी, सारण (छपरा) के पत्रांक-645 दिनांक-24.04.2020 द्वारा विहित पत्र प्राप्त हुआ ।

आरोप पत्र में वर्णित आरोपों पर श्री वर्मा से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया ।

श्री वर्मा के कार्यालय प्रखंड विकास पदाधिकारी, केसठ, बक्सर के पत्रांक-468 दिनांक-24.08.2023 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की विभाग द्वारा समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री वर्मा के मांझी प्रखंड पदस्थापन अवधि में आवास योजना के तहत 4 लाभार्थियों को दो-दो बार आवास का लाभ दिये जाने संबंधी मामले

में आरोपित पदाधिकारी द्वारा दो भिन्न-भिन्न प्रतिवेदन दिये गये हैं। यह कृत्य इनकी लापरवाही एवं कार्य के प्रति उदासीनता को दर्शाता है।

अतएव सम्यक विचारोपरांत श्री मिथिलेश कुमार वर्मा, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, मांझी, जिला-सारण सम्प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, केसठ, जिला-बक्सर के विरूद्ध 'असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक' का दंड अधिरोपित किया जाता है।

उक्त दंड की प्रविष्टि इनकी चारित्री में की जाय।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश से,
नन्द किशोर साह, संयुक्त सचिव।

---

22 जनवरी 2024

सं0 ग्रा0वि0-R-503/30/2022-Section-14 RDD-RDD–2494041––श्री वरूण राजेन्द्र केतन, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, अलीनगर, दरभंगा संप्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, मंझौलिया, प0 चम्पारण के विरूद्ध अधिसूचित प्रखंड में योगदान नहीं करने के आरोप पर विभागीय स्तर पर आरोप पत्र गठित किया गया ।

उक्त आरोप पत्र में वर्णित आरोप पर श्री केतन से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया ।

श्री केतन द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण दिनांक- 30.08.2023 की विभाग द्वारा समीक्षा की गई । समीक्षा में पाया गया कि इनके द्वारा विभागीय अधिसूचना सं0- 477842 दिनांक- 30.06.2021 द्वारा पदस्थापित स्थल प्रखंड विकास पदाधिकारी, अलीनगर, दरभंगा पद पर योगदान नहीं दिया गया । इस संबंध में श्री केतन का कहना है कि उनके बडे भाई को कोविड हो जाने के कारण उनकी देखभाल करने के क्रम में इन्हें भी कोविड का लक्षण आने लगा । पूर्व में विभागीय अधिसूचना सं0- 272303 दिनांक- 30.06.2023 द्वारा इन्हें प्रखंड विकास पदाधिकारी, बेलागंज, गया के पद पर पदस्थापित किया गया था, लेकिन उक्त अधिसूचित प्रखंड में इनके द्वारा योगदान नहीं किया गया एवं सक्षम प्राधिकार की अनुमति के बिना ये अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे । जैसे ही बेलागंज प्रखंड में अन्य पदाधिकारी को पदस्थापित किया गया, श्री केतन द्वारा विभागीय मुख्यालय में योगदान समर्पित किया गया । स्पष्टतः मनचाहा पदस्थापन नहीं होने के कारण इनके द्वारा विभागीय अधिसूचना के आलोक में नव पदस्थापित प्रखंड में योगदान नहीं किया गया एवं ये सक्षम प्राधिकार की अनुमति के बिना अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे । यह इनकी सरकार के आदेश की अवहेलना, स्वेच्छाचारिता एवं अनुशासनहीनता को परिलक्षित करता है।

अतः सम्यक विचारोपरांत श्री वरूण राजेन्द्र केतन, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, अलीनगर, दरभंगा संप्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, मंझौलिया, प0 चम्पारण द्वारा बरती गयी गंभीर लापरवाही, अनुशासनहीनता, सरकारी अधिसूचना की अवहेलना एवं स्वेछाचारिता के कृत्य के लिए इन्हें ''असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि रोकने'' का दंड अधिरोपित किया जाता है।

आदेश दिया जाता है कि श्री वरूण राजेन्द्र केतन की चारित्री में इस दंड की प्रविष्टि की जाय।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।

आदेशः-आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
नन्द किशोर साह, संयुक्त सचिव।

---

22 जनवरी 2024

सं0 ग्रा0वि0-14(द0)दर0-02/2021–2493555––श्री प्रदीप कुमार झा, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, बहादुरपुर, दरभंगा सम्प्रति ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, डुमरी कटसरी, शिवहर के विरूद्ध मुख्यमंत्री सात योजना अंतर्गत हर घर नल का जल एवं गली-नाली पक्कीकरण निश्चय योजना के कार्यान्वयन में

अनियमितता के आरोपों पर जिला पदाधिकारी, दरभंगा के पत्रांक-204/जि0पं0 दिनांक-27.01.2021 द्वारा विहित प्रपत्र में आरोप पत्र गठित कर विभाग को उपलब्ध कराया गया ।

आरोप पत्र में वर्णित आरोपों पर श्री झा से प्राप्त **स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत आरोप की वृहत जाँच हेतु विभागीय संकल्प सं0-584460 दिनांक-30.09.2021 द्वारा श्री झा के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।**

उक्त विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-806304 दिनांक-09.03.2022 से समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री झा के विरूद्ध धारित आरोपों को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

विभाग द्वारा श्री झा के विरूद्ध आरोप एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जल मीनार के ध्वस्त होने एवं योजनाओं के अनियमितता में श्री झा द्वारा सही तरीके से योजना का अनुश्रवण नहीं किये जाने के दोषी प्रतीत होते हैं। अतएव न्याय हित में विभागीय संकल्प सं0-1568000 दिनांक-13.02.2023 द्वारा संचालन पदाधिकारी को मामले की पुनः विस्तृत जाँच (Further Enquiry) हेतु निदेश दिया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित द्वितीय जाँच प्रतिवेदन में भी श्री झा के विरूद्ध आरोप को अप्रमाणित पाया गया।

श्री झा के विरूद्ध आरोप एवं संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित द्वितीय जाँच प्रतिवेदन (Further Enquiry) की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन में मुख्य रूप से अंकित है कि क्षतिग्रस्त योजना की तकनीकी लापरवाही तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी की जिम्मेदारी नहीं समझी जा सकती है। जिला पदाधिकारी से प्राप्त आरोप पत्र से स्पष्ट है कि राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के अंतर्गत संचालन एवं इस योजना के पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी प्रखंड विकास पदाधिकारी की थी। इसमे निश्चित रूप से प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री झा से चूक हुई है। इसलिए विभाग द्वारा संचालन पदाधिकारी के निष्कर्ष से असहमत होने का निर्णय लिया गया।

अतएव सम्यक विचारोपरांत श्री प्रदीप कुमार झा, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, बहादुरपुर, दरभंगा सम्प्रति ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, डुमरी कटसरी, शिवहर **के द्वारा मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के तहत बरती गयी उक्त अनियमितता के लिए श्री झा के विरूद्ध 'चेतावनी' का दंड अधिरोपित किया जाता है।**

उक्त दंड की प्रविष्टि इनकी चारित्री में की जाय।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश से,

नन्द किशोर साह, संयुक्त सचिव।

---

22 जनवरी 2024

सं0 ग्रा0वि0-R-503/269/2023-SECTION 14-RDD-RDD (COM NO-245495)–2493969––**श्री मनेन्द्र कुमार सिंह, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, पलासी (अररिया) सम्प्रति- प्रखंड विकास पदाधिकारी, पुनपुन (पटना) के विरूद्ध वर्ष 2015 से वर्ष 2023 तक की अवधि में लगातार रोकड़ पंजी में फर्जी निकासी कर राशि की प्रविष्टि करने, बिना बैंक स्टेटमेंट चेक पंजी एवं अन्य कार्यालय अभिलेख मिलान किये बिना नियमित रूप से रोकड़ पंजी संधारित किये जाने में गैर जिम्मेदारी एवं घोर लापरवाही के आरोप पर जिला पदाधिकारी, अररिया के पत्रांक-317/स्था० दिनांक- 23.03.2023 द्वारा आरोप प्राप्त है ।**

जिला पदाधिकारी, अररिया द्वारा प्रतिवेदित आरोप पर कार्यालय प्रखंड विकास पदाधिकारी, पुनपुन, पटना के पत्रांक-1966 दिनांक- 27.10.2023 के द्वारा श्री सिंह का स्पष्टीकरण प्राप्त है । श्री सिंह के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में जिला पदाधिकारी, अररिया द्वारा प्रतिवेदित आरोप से इंकार किया गया है ।

जिला पदाधिकारी, अररिया द्वारा प्रतिवेदित आरोप एवं आरोपी पदाधिकारी के स्पष्टीकरण की समीक्षा विभाग द्वारा की गई । समीक्षोपरान्त पाया गया कि प्रखंड कार्यालय से फर्जी लाभार्थियों के खाता में भुगतान का अवैध निकासी के मामले में तत्कालीन नाजिर, प्रधान लिपिक एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी की घोर लापरवाही की बात

स्पष्ट हो रहा है । रोकड़ वही का प्रभार प्राप्त करने एवं समय-समय पर बैंक स्टेटमेंट/चेक पंजी इत्यादि से मिलान करने में आरोपित पदाधिकारी द्वारा गंभीर लापरवाही बरती गई है । इस संबंध में उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है ।

अतएव सम्यक विचारोपरांत श्री मनेन्द्र कुमार सिंह, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, पलासी (अररिया) सम्प्रति- प्रखंड विकास पदाधिकारी, पुनपुन (पटना) को इनके द्वारा बरती गई गंभीर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता के लिए इन्हें 'निदंन' (आरोप वर्ष- 2018-19) का दंड अधिरोपित किया जाता है।

आदेश दिया जाता है कि श्री सिंह की चारित्री में इसकी प्रविष्टि की जाय।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।

आदेशः-आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
नन्द किशोर साह, संयुक्त सचिव।

———

पत्र संख्या 7/विविध–12–1016/2023–141
जल संसाधन विभाग

———

प्रेषक,

राकेश कुमार कमल,
अवर सचिव (प्रबंधन)।

सेवा में,

महालेखाकार,
वीरचन्द पटेल पथ,
बिहार, पटना।

दिनांक : 19 जनवरी 2024

विशय :–श्री देववंश कुमार, अवर प्रमंडल पदाधिकारी, सिंचाई अवर प्रमंडल–1, नवादा द्वारा दिनांक 23.03.2002 से दिनांक 14.01.2009 तक कनीय अभियंता (कार्य0) मुख्यालय पूर्व मध्य रेलवे के अधीन की गई पूर्व सेवा को वर्त्तमान सेवा के साथ पेंशन प्रयोजनार्थ परिगणित करने की स्वीकृति।

आदेश : स्वीकृत।

2. यह स्वीकृति वित्त विभागीय संकल्प संख्या 1548 दिनांक 27.06.2011 के प्रावधान के आलोक में बिहार सरकार के अधीन पूर्व सेवा के साथ पेंशन प्रयोजनार्थ परिगणित करने हेतु प्रदान की जाती है।

3. इसमें वित्त विभाग, बिहार, पटना की सहमति एवं अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,
राकेश कुमार कमल, अवर सचिव (प्रबंधन)।

———

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

———

अधिसूचना
19 जनवरी 2024

सं0 1/स्था0 (2) 07/2023–**232**––सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–19300, दिनांक–13.10.2023 से निर्गत अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के क्रम में गठित विभागीय स्क्रीनिंग समिति की दिनांक–20.10.2023 को आयोजित बैठक की अनुशंसा के आलोक में पूर्णतः अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत बिहार गव्य सेवा संवर्ग के निम्नांकित जिला गव्य विकास पदाधिकारी को निदेशक, गव्य में, उसके विहित वेतनमान (वेतन स्तर–13) सहित, अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार प्रदान किया जाता है :–

क्र०	पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	वर्तमान कोटि
1	2	3
1.	श्री संजय कुमार, प्रभारी संयुक्त निदेशक (मु0), गव्य विकास निदेशालय, बिहार, पटना	जिला गव्य विकास पदाधिकारी

2. संबंधित पदाधिकारी पदस्थापन होने तक वर्तमान धारित पदस्थापन पर ही उत्क्रमित पद का प्रभार ग्रहण करेंगे।

3. अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के प्रावधानों के आलोक में उच्चतर पद का प्रभार प्राप्त करने वाले पदाधिकारी के संबंध में भविष्य में अर्हता को प्रभावित करने वाले किसी प्रकार की त्रुटि/विसंगति पाये जाने पर संबंधित कर्मियों को प्रदत्त प्रभार आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा भुगतान की गयी अंतर राशि को भी वसूली कर ली जायेगी।

4. कार्यकारी व्यवस्था के तहत विहित वेतनमान में उच्चतर पद पर उत्क्रमित करते हुये दिया गया कार्यकारी प्रभार माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील सं0–4880/2017 बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य तथा अन्य सम्बद्ध वादों में पारित होने वाले आदेश के फलाफल से प्रभावित होगा।

5. उपर्युक्त अनुशंसा सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या–19300, दिनांक–13.10.2023 से निर्गत अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के प्रावधानों एवं अधिसूचना संख्या–636, दिनांक–10.01.2024 के आलोक में की गयी है, जो इस नियमावली में किसी भी परिवर्तन के फलाफल से प्रभावित होगी।

6. उपर्युक्त पदाधिकारी द्वारा वर्तमान में धारित पद को अगले आदेश तक निदेशक, गव्य (विहित वेतनमान–वेतन स्तर–13) में उत्क्रमित किया जाता है।

7. उपर्युक्त पदाधिकारी का पदभार ग्रहण करने की तिथि से निदेशक, गव्य के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सुमन प्रसाद साह, उप–सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 46—571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

भाग-9-ख

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि ।

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद

विद्यापति मार्ग, पटना–800001

———————

अधिसूचना

05 सितम्बर 2023

सं0 2081––**श्री राम जानकी सिया बिहारी कुंज ठाकुरवाड़ी,** राजापुर, जिला–पटना बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन सं0–51 है।

इस न्यास की व्यवस्था हेतु वर्ष 2001 में 15 सदस्यीय न्यास समिति का गठन किया गया था, इस न्यास के संबंध में मिल रही शिकायतों के संबंध में पर्षद के मा0 सदस्यों द्वारा न्यास का स्थल निरीक्षण भी किया गया। स्थल निरीक्षण के उपरांत सभी पक्षों को विभिन्न तिथियों पर विस्तार पूर्वक सूना गया। यह तथ्य प्रकाश में आया कि पर्षद द्वारा गठित न्यास समिति के 05 सदस्य जीवित है, शेष सदस्यों का स्वर्गवास हो गया है। यह तथ्य भी प्रकाश में आया कि वह न्यास समिति कभी भी प्रभावी नहीं हो सकी। सभी पक्षों को विस्तारपुर्वक सुनने के पश्चात तथा सभी परिस्थितियों के विचारोपरांत न्यास समिति गठन के संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी का पत्रांक–956, दिनांक–09/05/2023 के द्वारा 11 व्यक्तियों की सूची पर्षद को उपलब्ध करायी गयी, जिसका संबंधीत थाना से मंतव्य प्राप्त कर लिया गया। अतः अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा प्रस्तावित नामों तथा स्थानीय लोगों के द्वारा दिये गये नामों में (जो आम सभी द्वारा नहीं प्रस्तावित है) इसलिए कुछ लोगों के नाम को शामिल करते हुए उक्त मंदिर की व्यवस्था एवं देखभाल हेतु एक योजना का निरूपण करते हुए निम्न न्यास समिति का गठन किया जाता है।

अतः पर्षदीय आदेश दिनांक–15/07/2023 द्वारा अनुमोदन के पश्चात बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा– 32 में बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो धार्मिक न्यास पर्षद की उपविधि सं0– 43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए **''श्री राम जानकी सिया बिहारी कुंज ठाकुरवाड़ी,** राजापुर, जिला– पटना' की सम्पत्तियों की सुरक्षा, संरक्षण तथा सुप्रबंधन हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण किया जाता है तथा इसे मूर्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति अस्थायी रूप से गठित की जाती है।

योजना

1. अधिनियम की धारा– 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम **''श्रीराम जानकी सिया बिहारी कुंज ठाकुरबाड़ी न्यास योजना, राजापुर, जिला– पटना''** होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम **''श्रीराम जानकी सिया बिहारी कुंज ठाकुरबाड़ी न्यास समिति, राजापुर, जिला– पटना''** जिसमें न्यास की समग्र चल–अचल संपत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।

2. न्यास समिति न्यास के सुचारू प्रबंधन के साथ–साथ पूजा–अर्चना, राग–भोग, अतिथि–सेवा आदि समस्त धार्मिक आचारों का सम्यक संचालन सुनिश्चित करेगी।

3. न्यास की समग्र आय के लेखा का सम्यक् संधारण किया जायेगा और राष्ट्रीयकृत बैंक में न्यास के नाम से खाता खोलकर जमा तथा आवश्यकतानुसार राशि निकासी कर व्यय किया जायेगा।

4. **न्यास के खाते का संचालन दो सदस्यों (अध्यक्ष/सचिव एवं कोषाध्यक्ष) के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।**

5. मठ परिसर में जगह–जगह भेंट–पात्र रखे जायेंगे, जिसमें दान एवं चढ़ावे की राशि डाली जायेगी, जो निर्धारित तिथि को न्यास समिति द्वारा अधिकृत दो सदस्यों के समक्ष खोली जायेगी और सही गणना कर प्राप्त राशि को बैंक में जमा किया जायेगा।

6. दाताओं से प्राप्त होने वाले राशि के लिए उन्हें रसीद दी जायेगी और सत्यापित पंजी में दर्ज कर उन्हें बैंक में जमा की जायेगी।

7. मंदिर परिसर में स्वच्छता एवं पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जायेगा और मंदिर की गरिमा को अक्षुण्ण रखा जायेगा। महिला दर्शनार्थियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जायेगा।

8. न्यास समिति द्वारा मठ / मन्दिर के पुजारी की अर्हता का निर्धारण एवं नियुक्ति की जायेगी एवं उनके वेतन का भुगतान न्यास कोष से होगा।

9. न्यास समिति यह सुनिश्चित करेगी कि मठ/मन्दिर परिसर में भक्तों का शोषण नहीं हो और पूजा के नाम पर उनसे जबरन बसूली नहीं हो।

10 न्यास समिति, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप विधि में वर्णित नियमों का अनुपालन करते हुए बजट, आय–व्यय विवरणी, अंकेक्षित प्रतिवेदन, कार्यवृत आदि का पर्षद को सम्यक प्रेषण करेगी।

11. न्यास समिति के कोई सदस्य यदि न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे या न्यास की परिसम्पत्तियों से प्रत्यक्ष या परोक्ष लाभ उठाते हुए पाये जायेंगे अथवा आपराधिक पृष्टभूमि के होंगे, तो उनके सदस्य बने रहने की अर्हता समाप्त हो जायेगी।

12. न्यास की आय–व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी।

13. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव प्रत्येक तिमाही में बैठक बुलायेंगे। बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष करेंगे और निर्णय बहुमत के आधार पर होगा। अध्यक्ष के अनुपलब्ध रहने की स्थिति में उपाध्यक्ष, संचालन करेंगे।

14. सचिव, समिति द्वारा पारित प्रस्तावों / निर्णयों को मूर्त रूप देने के लिए उत्तरदायी होंगे और कोषाध्यक्ष आय–व्यय के लेखा संधारण एवं पर्यवेक्षण के उत्तरदायी होंगे।

15. जिन विषयों का उल्लेख इस योजना में नहीं हो और मठ के हित में आवश्यक हो, तो उन बिन्दुओं पर न्यास समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के पास अनुमोदन हेतु भेजेगी।

16. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।

17. यह अधिसूचना बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद के अनुमोदन के पश्चात प्रकाशित की जा रही है।

पर्षद द्वारा निरूपित योजना को मूर्त रूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की एक न्यास समिति गठित की जाती हैः–

1.	श्री अच्युतानंद उपाध्याय, (सेवानिवृत अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश) पता– बुद्धा कॉलोनी, राजापुर, जिला– पटना।	–	अध्यक्ष।
2.	श्री अजय कुमार पाण्डेय, पिता– स्व0 रामाकांत पाण्डेय मो0– 6299997116	–	उपाध्यक्ष।
3.	श्री सौरभ कुमार सिंह, पिता– स्व0 गोरख प्रसाद सिंह मो0– 9334069925	–	सचिव।
4.	श्री बिपिन कुमार सिन्हा,(उर्फ गुड्डु जी) पिता– स्व0 बृन्द कमार सिन्हा मो0– 8789047347	–	कोषाध्यक्ष।
5.	श्री नागेन्द्र दास पता– श्री राम जानकी सिया बिहारी कुंज ठाकुरबाड़ी, राजापुर, जिला– पटना।	–	सदस्य सह–पुजारी
6.	श्री सोहन सिंह, पिता– स्व0 शिव प्रताप सिंह मो0– 9334056325	–	सदस्य।
7.	श्री देवदत्त प्रसाद, मैनपुरा, पटना	–	सदस्य।
8.	श्रीमति पुष्पा देवी, पति– श्री गणेश कुमार मे0– 7870532616	–	सदस्य।
9.	श्री अशोक सिंह उर्फ पप्पू जी, पिता– स्व0 नागेश्वर शरण सिंह मो0– 9431493612	–	सदस्य।
10.	श्री सुभाष कुमार, पिता– स्व0 प्रेम महतो मो0– 9973260500	–	सदस्य।
11.	श्री प्रवीण कुमार, पिता– स्व चन्देश्वर प्रसाद मो0– 9334108477	–	सदस्य।

उक्त आदेश के आलोक में **"श्री राम जानकी सिया बिहारी कुंज ठाकुरवाड़ी,** राजापुर, जिला– पटना" के नाम में किसी प्रकार को कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

नोटः–न्यास समिति / पदाधिकारी / सदस्य को न्यास की किसी भी सम्पत्ति / भूमि का हस्तान्तरण / बदलैन / विक्रय/ पट्टा / लीज आदि पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। अगर वे ऐसा करते हैं तो शुन्य वो अवैध होगा तथा न्यास समिति के विरूद्ध विधि–सम्मत कार्रवाई की जा सकती है।

आदेश से,
अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 46—571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in